FIRST INFORMATION REPORT

(Under Section 154 Cr.P.C.)

(प्रथम सूचना रिपोर्ट)

(धारा 154 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत)

1. **District (जिला):** ACB DISTRICT **P.S. (थाना):** C.P.S Jaipur **Year (वर्ष):** 2024

2. **FIR No. (प्र.सू.रि.सं):** 0037 **Date and Time of FIR (एफआईआर की तिथि/समय):** 24/02/2024 15:27 बजे

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धाराएँ)
1	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	7

3. (a) **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**

1. **Day(दिन):** दरमियानी दिन **Date From (दिनांक से):** 21/02/2024 **Date To (दिनांक तक):** 22/02/2024

Time Period (समय अवधि): पहर **Time From (समय से):** 12:45 बजे **Time To (समय तक):** 15:52 बजे

(b) **Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई):** **Date (दिनांक):** 24/02/2024 **Time (समय):** 15:00 बजे

(c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ) :** **Entry No. (प्रविष्टि सं.):** 002 **Date & Time (दिनांक एवं समय)** 24/02/2024 15:27:47 बजे

4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** लिखित

5. **Place of Occurrence (घटनास्थल):**

1. (a) **Direction and distance from P.S. (थाने से दिशा और दूरी):** SOUTH, 550 किमी **Beat No. (बीट सं.) :** NOT APPLICABLE

(b) **Address(पता):** Panchayat Samiti Girwa, Out side Gate No. 2 Udaipur

(c **In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)**

Name of P.S (थाना का नाम): **District(State) (जिला (राज्य)):**

6. **Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):**

(a) **Name(नाम):** Mahesh Chodhary

(b) **Father's Name (पिता का नाम):** Pannlal Chodhary

(c) **Date/Year of Birth (जन्म तिथि/ वर्ष):** 1982 **(d)Nationality(राष्ट्रीयता):** INDIA

(e) **UID No(यूआईडी सं.):**

(f) **Passport No. (पासपोर्ट सं.):**
Date of Issue (जारी करने की तिथि): **Place of Issue (जारी करने का स्थान):**

(g) **Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN) (पहचान विवरण(राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र,पारपत्र,आधार कार्ड सं,ड्राइविंग लाइसेंस,पैन)):**

S.No.	Id Type	Id Number

(h) **Occupation (व्यवसाय):**

(i) **Address(पता):**

S.No. (क्र. सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	2E, Kalka Mata Road, Adarsh Nagar, UDAIPUR, RAJASTHAN, INDIA
2	स्थायी पता	2E, Kalka Mata Road, Adarsh Nagar, UDAIPUR, RAJASTHAN, INDIA

(j) **Phone number (दूरभाष न.):** **Mobile (मोबाइल न.):** 91-9413976188

7. **Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):**

Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Address (पता)
1	Heeralal		पिता:Kaluji Meena	1. Upali Bhagal Umarda,Girwa,UDAIPUR,RAJAS

8. **Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):**

9. **Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary) (सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण(यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ट नत्थी करें)):**

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य(रु में))
1	सिक्के और मुद्रा	रुपये		25,000.00

10. **Total value of property stolen(In Rs/-)**
(चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में)): 25,000.00

11. **Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):**

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या)

12. **First Information contents (Attach separate sheet, if necessary)**
(प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो , तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)):

महोदय, वाकियात मामला इस प्रकार है कि दिनांक 21.02.2024 समय 12.45 पीएम पर श्री उमेश ओझा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो एसयू उदयपुर ने मन् पुलिस निरीक्षक को अपने कार्यालय कक्ष में बुलाकर उनके समक्ष बैठे एक व्यक्ति परिवादी श्री महेश चौधरी पुत्र श्री पन्नालाल जी निवासी 2E आदर्श नगर कालका माता रोड उदयपुर के रूप में परिचय करवाया जाकर परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र सुपुर्द कर मन् पुलिस निरीक्षक को अग्रिम कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया। जिस पर मन् पुलिस निरीक्षक परिवादी श्री महेश चौधरी को अपने कार्यालय कक्ष में लेकर आया तथा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया तो प्रार्थना पत्र में अंकित किया गया कि मैं प्रार्थी महेश चौधरी पुत्र पन्नालाल जी निवासी 2E आदर्श नगर कालका माता रोड उदयपुर का निवासी हूं। मुझे मेरी जमीन जो की उमरडा में स्थित है जो मेरे नाम से है उक्त जमीन पर मै इंडसट्रीज लगाना चाहता हूं। जिसके लिए मैने जिला उद्योग केन्द्र उदयपुर में सम्पर्क किया तो वहां बताया की जिला उद्योग केन्द्र उदयपुर में प्रार्थना पत्र के साथ आप की जमीन के सम्बंधित ग्राम पंचायत के सरपंच से अनापत्ति प्रमाण पत्र की आवश्यकता रहेगी जिस पर मैने सरपंच ग्राम पंचायत उमरडा श्री हीरालाल से सम्पर्क किया तो श्री हीरालाल सरपंच द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र देने के बदले में मुझसे 1 लाख रूपये की रिश्वत राशि की मांग की गई है। मै श्री हीरालाल सरपंच को रिश्वत राशि नहीं देना चाहता हूं। रिश्वत लेते हुए श्री हीरालाल सरपंच को रंगे हाथो पकडवाना चाहता हूं। मेरी हीरालाल से कोई पुरानी दुश्मनी नहीं है नहीं पुरानी कोई लेन देन बाकी है। उचि□त कार्यवाही करवायें। परिवादी से उक्त प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों के सम्बंध में मजीद पूछताछ की गई तो परिवादी द्वारा रिपोर्ट शब्द-ब-शब्द सत्य होकर स्वंय की हस्तलिखित में होना तथा कोई भी तथ्य नही छुपाया जाने सम्बंधी ताईद की गई। जिस पर मामला रिश्वत राशि मांग एवं लेने-देन का होकर भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम 2018 में वर्णित अपराध की परिधि में होना पाया जाने पर अग्रिम कार्यवाही हेतु रिश्वत राशि मांग सत्यापन करवाया जाना आवश्यक होने से परिवादी को रिश्वत राशि सत्यापन वार्ता हेतु कहा गया तो परिवादी ने बताया कि सरपंच मुझसे फोन पर केवल व्हॉटसअप वाईस कॉल से ही बात करता है अक्सर वो मेरा फोन नही उठाता है◌ा लेकिन मेरे परिचित श्री नरेन्द्र टांक उर्फ बबलू जो सरपंच श्री हीरालाल का भी परिचित है उसकी सरपंच से बात होती रहती है वो मेरे इस काम में भी मेरी सरपंच से एनओसी जारी कराने में मदद कर रहा है लेकिन मैंने उसे सरपंच श्री हीरालाल के विरूद्व एसीबी कार्यालय पर रिपोर्ट देने व कार्यवाही कराने के बारे में नही बताया है◌ा जब भी सरपंच या श्री नरेन्द्र टांक उर्फ बबलू का फोन आयेगा जब मिलने जाना है। जिस पर मन् पुलिस निरीक्षक के मोबाईल नम्बर परिवादी के मोबाईल में सुरक्षित करवाये गये और परिवादी को आवश्यक हिदायत दी गई कि यदि सरपंच श्री हीरालाल या श्री नरेन्द्र टांक उर्फ बबलू का रिश्वत राशि मांगने बाबत् मोबाईल पर कॉल आये तो तुरन्त मन् पुलिस निरीक्षक को सूचित करें। परिवादी को आवश्यक गोपनीयता बरतने की हिदायत देकर समय करीब 2.15 पीएम पर रूकसत किया। तत्पश्चात् समय 04.28 पीएम पर मन् पुलिस निरीक्षक के मोबाईल पर परिवादी श्री महेश चौधरी के मोबाईल नम्बर 9413976188 से कॉल आया और परिवादी ने बताया कि श्री नरेन्द्र टांक उर्फ बबलू का मेरे मोबाईल पर कॉल आया था उसने मुझे बताया कि सरपंच से मेरी बात हो गई है। उसने कल दिनांक 22.02.2024 को सुबह समय करीब 9.30 बजे उमरडा की तरफ मिलने बुलाया है परिवादी ने बताया कि श्री हीरालाल सरपंच कल मुझसे वहॉ पर रिश्वत राशि की मांग कर सकता है◌ा जिस पर मन् पुलिस निरीक्षक ने परिवादी को दिनांक 22.02.2024 को प्रात: 09.00 बजे ब्यूरो कार्यालय उपस्थित होने और आवश्यक गोपनीयता बरतने की हिदायत दी गई। दिनांक 22.02.2024 समय 09.10 एएम पर परिवादी श्री महेश चौधरी ब्यूरो कार्यालय उपस्थित आये। मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा परिवादी को अपने कार्यालय कक्ष में बिठाया और कानि. श्री राजेश कुमार नम्बर 263 को कार्यालय कक्ष में बुलाकर परिवादी श्री महेश चौधरी से परिचय करवाया गया और एक दूसरे के मोबाईल नम्बर आपस में सुरक्षित करवाये गये। श्री राजेश कानि. से अलमारी में सुरक्षित रखे डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर मय मैमोरी कार्ड के मंगवाया जाकर परिवादी श्री महेश चौधरी को डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर में वार्ता रिकॉर्ड करने तथा वॉयस रिकॉर्डर के संचालन की विधि समझाई गई। श्री राजेश कानि. को डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर मय मैमोरी कार्ड के सुपुर्द कर परिवादी श्री महेश चौधरी के परिवादी के निजी वाहन स्कूटी से उमरडा की तरफ रवाना किया गया। तत्पश्चात् समय 11.40 एएम पर श्री राजेश कानि. मय डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर मय मैमोरी कार्ड एवं परिवादी श्री महेश चौधरी के साथ ब्यूरो कार्यालय पर उपस्थित आये। कानि. श्री

राजेश ने मन् पुलिस निरीक्षक को डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर मय मैमोरी कार्ड के सुपुर्द कर बताया कि आपके निर्देशानुसार में परिवादी श्री महेश चौधरी के साथ उनके निजी वाहन से ब्यूरो कार्यालय से रवाना हुए रास्ते में परिवादी के मोबाईल पर उनके परिचित श्री नरेन्द्र टांक उर्फ बबलू का फोन आया उसने बताया कि रामदेव चौराहा पर आ जाओ मेरी सरपंच श्री हीरालाल से बात हो गई है वो भी यही आ रहा है◌ा समय करीब 09.50 एएम पर रामदेव चौराहा ग्राम उमरडा से थोडा पहले मुख्य मार्ग पर पंहुचे जहॉ परिवादी श्री महेश चौधरी को रिश्वत राशि मांग वार्ता करने एवं डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर के संचालन की प्रक्रिया समझाईश कर रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता हेतु डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर को चालू कर सुपुर्द कर रामदेव चौराहा उमरडा की तरफ उसकी स्कूटी से रवाना किया गया और मै आस-पास ही अपना छुपाव हासिल कर परिवादी के इन्ताजार में रहा। कुछ देर बाद परिवादी श्री महेश चौधरी का मेरे मोबाईल पर कॉल आया परन्तु बात नहीं होने से मैंने पुन:श्री महेश चौधरी को उनके मोबाईल पर कॉल किया तो परिवादी ने बताया कि सरपंच श्री हीरालाल अभी तक नही आये है जिस पर मैंने परिवादी श्री महेश चौधरी को वहीं रूककर सरपंच श्री हीरालाल का इन्तजार करने की हिदायत दी। समय करीब लगभग 11.00 एएम पर परिवादी श्री महेश चौधरी मेरे पास आये और मुझे डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर दिया जिसे मैंने बंद कर अपने पास सुरक्षित रखा। तत्पश्चात परिवादी ने मुझे बताया कि श्री हीरालाल सरपंच से मेरी वार्ता हो गई है सरपंच श्री हीरालाल ने मुझसे 25000/- रूपये रिश्वत राशि की मांग कर कहा है कि आज ही दोपहर में करीब 1 से 1.30 बजे के मध्य में मैं सिटी आउंगा तब फोन कर के आपको बता दूंगा। उसके बाद मैं और परिवादी श्री महेश चौधरी वहां से रवाना होकर उपस्थित ब्यूरो कार्यालय आये हैं। जिस पर मन पुलिस निरीक्षक ने परिवादी श्री महेश चौधरी को हीरालाल सरपंच से हुई वार्ता के बारे में पूछा गया तो उनके द्वारा भी श्री राजेश कानि. द्वारा बताये गये तथ्यों की ताईद की गई और परिवादी श्री महेश चौधरी ने बताया कि मैने संदिग्ध आरोपी श्री हीरालाल सरपंच से मांग सत्यापन वार्ता के दौरान अनापत्ति प्रमाण पत्र का प्रारूप श्री हीरालाल सरपंच के मोबाईल नम्बर 9571341273 पर वॉट्सएप किया था, उक्त प्रारूप कागज पर नीले रंग के बॉल पेन से मेरे द्वारा लिखा गया था । तत्पश्चात मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर को चालू कर परिवादी श्री महेश चौधरी व संदिग्ध आरोपी हीरालाल सरपंच में मध्य हुई रिकॉर्डशुदा वार्ता को सुना गया तो कानि. श्री राजेश और परिवादी श्री महेश चौधरी द्वारा बताये गये तथ्यों की पुष्टि होना पाया गया। हालात उच्चाधिकारियों को निवेदन कर अग्रिम कार्यवाही हेतु निर्देश प्राप्त किये गये। परिवादी श्री महेश चौधरी को संदिग्ध आरोपी श्री हीरालाल सरपंच को उसकी मांग अनुसार देने वाली रिश्वत राशि 25000/- रूपयों की व्यवस्था कर ब्यूरो कार्यालय उपस्थित होने हेतु पाबंद कर मामले की गोपनीयता बरकरार रखने की आवश्यक हिदायत देकर रूकसत किया। तत्पश्चात् समय 12.30 पीएम पर श्री राजेश कानि.को खान एवं भू-विज्ञान विभाग उदयपुर से उक्त कार्यवाही हेतु दो स्वतंत्र गवाह लाने हेतु तहरीर के रवाना किया। श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को निवेदन कर श्री अजय कुमार कानि. 456 भ्रनि ब्यूरो इन्टे उदयपुर को इमदाद हेतु तलब किया गया। तत्पश्चात् श्री राजेश कानि. उक्त कार्यवाही हेतु स्वतंत्र गवाह की तलबी हेतु जारी तहरीर की प्राप्ति रसीद लेकर उपस्थित ब्यूरो कार्यालय आया एवं श्री अजय कुमार कानि. 456 भ्रनिब्यूरो इन्टे उदयपुर कार्यालय हाजा पर उपस्थित आया जिसे अग्रिम कार्यवाही हेतु निर्देशित कर चौकी हाजा पर आमद की गई। तत्पश्चात् समय 02.00 पीएम पर कार्यालय निदेशालय खान एवं भू-विज्ञान विभाग राजस्थान उदयपुर द्वारा पत्र क्रमांक 180-181 दिनांक 22.02.2024 से मनोनित एक स्वतंत्र गवाह उपस्थित ब्यूरो कार्यालय आया। जिन्हें मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा स्वयं का परिचय देकर नाम पता पूछा तो उन्होंने अपना नाम श्री विशाल माथुर पुत्र श्री भुवनेन्द्र भारती उम्र 43 वर्ष निवासी 54/423 न्यू विद्यानगर श्रीजी विहार हिरणमगरी सेक्टर नम्बर 04, जिला उदयपुर हाल वरिष्ठ सहायक कार्यालय निदेशालय खान एवं भु-विज्ञान विभाग उदयपुर होना बाताया मनोनित गवाह श्री सुधीर भटनागर वरिष्ठ भू वैज्ञानिक गोवर्धन विलास के बारे में पूछा तो कोई जानकारी नहीं होना बताया जिस पर श्री सुधीर भटनागर को उनके मोबाईल नम्बर 9414162364 पर कॉल कर पूछा तो उन्होने बताया कि मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है। मै गवाह के रूप में उपस्थित नहीं हो सकता हुं मेरी इस संबंध में मेरे कार्यालय में वार्ता हो गई । जिस पर एक स्वतंत्र गवाह उपलब्ध करवाने बाबत श्रीमान सचिव उदयपुर विकास प्राधिकरण के नाम तहरीर जारी कर श्री राजेश कुमार कानि को रवाना किया। तत्पश्चात् समय 02.15 पीएम पर परिवादी श्री महेश चौधरी उपस्थित ब्यूरो कार्यालय आया जिन्हें मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा संदिग्ध आरोपी श्री हीरालाल सरपंच को देने वाली रिश्वत राशि के बारे में पूछा तो परिवादी श्री महेश चौधरी ने बताया कि सरपंच श्री हीरालाल को दी जाने वाली रिश्वत राशि 25000/- रूपये की व्यवस्था हो गई है जो मेरे पास है◌ा मैंने मेरे परिचत श्री नरेन्द्र टांक को भी एनओसी के संबंध में सरपंच श्री हीरालाल से सम्पर्क करने के लिये कहा है। परिवादी को कार्यालय कक्ष में बिठाया गया। श्री राजेश कानि. मय कार्यालय उदयपुर विकास प्राधिकरण से मनोनित स्वतंत्र गवाह के उपस्थित ब्यूरो कार्यालय आया। स्वतंत्र गवाह से मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा स्वयं का परिचय देकर नाम पता पूछा तो उन्होंने अपना नाम श्री भगवती लाल पुत्र श्री जगन्नाथ माली उम्र 36 वर्ष निवासी 399, मालीयों की होटल चिकलवास जिला उदयपुर हाल कनिष्ठ सहायक कार्यालय उदयपुर विकास प्राधिकरण, उदयपुर होना बताया। मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा दोनों स्वतंत्र गवाहान एवं परिवादी श्री महेश चौधरी का आपस में परिचय कराया जाकर स्वतंत्र गवाहान के समक्ष परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को पढकर सुनाया तो परिवादी ने रिपोर्ट स्वयं के हस्तलिखित हो शब्द-ब-शब्द सही होना बताया, तत्पश्चात

आज दिनांक 22.02.2024 को हुई रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता जो ब्यूरो के डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड की गई थी को चालू कर वार्ता के मुख्य-मुख्य अंश सुनाये गये तो दोनों स्वतंत्र गवाहान द्वारा भी संदिग्ध आरोपी द्वारा रिश्वत राशि मांग करने की पुष्टि की गई। मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा दोनों स्वतंत्र से परिवादी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पर की जा रही अग्रिम ट्रेप कार्यवाही में बतौर सरकारी स्वंतत्र गवाह के रूप में सम्मिलित रहने हेतु सहमति चाही गई तो दोनों गवाह द्वारा अपनी-अपनी मौखिक स्वीक़ति दी गई। परिवादी श्री महेश चौधरी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पर दोनों स्वतंत्र गवाहान के हस्ताक्षर करवाये गये। परिवादी श्री महेश चौधरी ने मन पुलिस निरीक्षक को बताया कि रिश्वत राशि मांग सत्यापन के दौरान श्री हीरालाल सरपंच द्वारा चाही गई जमाबंदी की नकल मेरे द्वारा श्री हीरालाल के वॉट्सएप नम्बर 9571341273 पर भेजी दी गई है। तत्पश्चात् समय 2.45 पीएम मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा दोनों स्वतंत्र गवाहान के समक्ष परिवादी श्री महेश चौधरी से संदिग्ध आरोपी श्री हीरालाल सरपंच की मांग अनुसार रिश्वत में दी जाने वाली राशि 25000/- रूपये पेश करने हेतु कहने पर परिवादी ने अपने पास से 500-500 रूपये के 50 नोट कुल 25000/- रूपये भारतीय चलन मुद्रा के पेश किये। उपरोक्त समस्त नोटों के नम्बर निम्नानुसार है- 0VN039928, 1RM027178, 8EK412352, 0HW219666, 5CS419689, 8TG062371, 8KR580719, 8CD154220, 2AG833103, 0EW039735, 0SS110093, 3MM277306, 1HA424281, 6SU484627, 7SR125958, 3TV845393, 7PB454176, 4AR874023, 3ML765143, 3FH751483, 5LM582288, 0TA778914, 5CS423392, 6QF342938, 0RM813871, 6DC270144, 5QE801397, 2NU948418, 9HH155672, 0GP400234, 4SF827273, 8VF362397, 4WM306544, 7RE617568, 8CG058418, 2PH736989, 1BL528233, 0GV550086, 2UW233689, 6BR398003, 7AG869388, 1CG788317, 1QK462512, 5TC399224, 9BC808679, 0BF075185, 2KS335987, 8GQ926707, 6VV062527, 8AP764466 उपरोक्त प्रस्तुत नोटों के नम्बरो को फर्द में अंकित करा स्वतंत्र गवाहान से मिलान करवाया गया तत्पश्चात श्री अजय कुमार कानि. 456 से कार्यालय की आलमारी में सें फिनोफ्थलीन पाउडर की शीशी मंगवाई जाकर अखबार बिछा कर परिवादी द्वारा प्रस्तुत 25000/- रूपयें के समस्त नोटों के दोनों तरफ फिनोफ्थलीन पाउडर लगवाया जाकर उपरोक्त नोटों को परिवादी द्वारा पहनी हुई पेन्ट में आगे की दांयी जेब में कुछ शै न छोड़ते हुए मुनासिब हिदायत देकर रखवाये गये। तत्पश्चात श्री राजेश कानि. से एक नये प्लास्टिक के पारदर्शी डिस्पोजल गिलास में साफ पानी भरवाकर मंगवाया जाकर इसमें ट्रेप बॉक्स में रखी सोडियम कार्बोनेट की शीशी निकलवाकर एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डलवा कर घोल तैयार करवाया गया तो घोल का रंग रंगहीन रहा उक्त घोल को उपस्थितिनो को दिखाया तो घोल का रंग अपरिवर्तित होना स्वीकार किया। इस रंगहीन घोल में श्री अजय कुमार कानि. 456 की अंगुलियों व अंगुष्ठ जिन पर फिनोफ्थलीन पाउडर लगा हुआ है रंगहीन घोल मे डूबोकर धुलवाई गई तो धोवन का रंग गुलाबी हुआ। इस प्रकार परिवादी तथा स्वतंत्र गवाहान के समक्ष फिनोफ्थलीन पाउडर एवं सोडियम कार्बोनेट पाउडर की रासायनिक प्रतिक्रिया प्रदर्शित कर एवं उसके मन्तव्य से अवगत कराते हुए बताया कि यदि संदिग्ध आरोपी रिश्वती राशि मांग कर अपने हाथों से ग्रहण करेगा तो नोटों पर लगा फिनोफ्थलीन पाउडर उसके हाथों की अंगुलियों व अंगुष्ठ पर लग जाएगा और जब उसके हाथों की अंगुलियों व अंगुष्ठ को उपरोक्तानुसार धुलवाई जाएगी तो धोवन का रंग गुलाबी हो जाएगा। जिससे यह प्रमाणित होगा कि संदिग्ध आरोपी ने रिश्वती राशि मांग कर अपने हाथों से ग्रहण की है। उक्त गुलाबी धोवन को श्री अजय कुमार कानि. से बाहर नाली में फिकवा कर उपरोक्त प्लास्टिक के डिस्पोजल गिलास व अखबार को जला कर नष्ट करवाया गया। तत्पश्चात परिवादी को हिदायत दी गई कि रिश्वती राशि देने से पूर्व या देने के बाद आरोपी के शरीर के किसी अंग को नहीं छुए यदि अभिवादन की आवश्यकता हो तो हाथ जोड़कर अभिवादन करे एवं रिश्वती राशि देते समय जल्दबाजी व घबराहट का प्रदर्शन न करें तथा उक्त कार्यवाही में उपस्थित सदस्यों के हाथों को दो बार साफ पानी व साबुन से धुलवाये गये। समय करीब 03.01 पीएम पर परिवादी श्री महेश चौधरी के मोबाईल पर उसके परिचित श्री नरेन्द्र टांक उर्फ बबलू का व्हॉटसएप वाईस कॉल आया जिस पर परिवादी के मोबाईल का लाउड स्पीकर मॉड ऑन कर वार्ता करवायी गई तो श्री नरेन्द्र टांक उर्फ बबलू ने परिवादी को सवीना मण्डी चौराहा के पास बुलाया और कहा की सरपंच भी वही आ रहा है और मैं भी वहॉ आ रहा हू उक्त वार्ता को सभी उपस्थितिनो ने सुना, तत्पश्चात श्री अजय कुमार कानि. को फिनोफ्थलीन पाउडर की शीशी को पुनः कार्यालय की अलमारी में सुरक्षित रखवाई गई और ब्यूरो कार्यालय में ही रूकने की आवश्यक हिदायत दी गई। श्री राजेश कानि से सोडियम कार्बोनेट पाउडर की शीशी व एक नये साफ चम्मच को ट्रेप बॉक्स में रखवाया गया, मन पुलिस निरीक्षक के निर्देशानुसार श्री चन्द्रकान्त हैडकानि द्वारा उक्त कार्यवाही की फर्द पेशकशी एवं सुपुर्दगी नोट एवं दृष्टान्त फिनोफ्थलीन पाउडर एवं सोडियम कार्बोनेट पाउडर पृथक से मूर्तिब की जाकर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाये गये। तत्पश्चात् समय 03.10 पीएम पर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा परिवादी स्वतंत्र गवाहान व ब्यूरो स्टॉफ का अपास में परिचय करवाया जाकर अग्रिम कार्यवाही हेतु निर्देशित कर दोनों स्वतंत्र गवाहान तथा ट्रेप पार्टी के सदस्यों को आवश्यक हिदायत दी गई कि यथासंभव अपनी-अपनी उपस्थिति को छिपाते हुए परिवादी तथा आरोपी के मध्य होने वाले रिश्वती राशि के लेन-देन को देखने व वार्तालाप को सुनने का प्रयास करें। परिवादी द्वारा संदिग्ध आरोपी श्री हीरालाल सरपंच को रिश्वत राशि देने के पश्चात अपने सिर पर दो बार हाथ घुमाने या मन् पुलिस निरीक्षक के मोबाईल

नम्बर पर मिस कॉल करने का ईशारा निर्धारित किया जाकर स्वतंत्र गवाहान एवं ब्यूरो टीम को समझाया गया। ततपश्चात् समय 03.15 पीएम पर मन् पुलिस निरीक्षक ने श्री राजेश कानि. 263 को मय डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर मय मैमोरी कार्ड के परिवादी श्री महेश चौधरी के साथ परिवादी के निजी वाहन स्कूटी से, श्री चन्द्रकान्त हैड कानि. 18 व श्री विनोद कुमार वरिष्ठ सहायक को ब्यूरो की सरकारी मोटरसाईकिल से सवीना चौराहा की तरफ रवाना कर मन् पुलिस निरीक्षक स्वतंत्र गवाह श्री भगवतीलाल व श्री विशाल, श्री मोहम्मद जाबीर उप निरीक्षक पुलिस, श्री दिनेश कानि. 266 मय प्राईवेट वाहन मय ट्रेप बॉक्स, लेपटॉप, प्रिन्टर व आवश्यक संसाधन के उनके पीछे पीछे सवीना चौराहा की तरफ रवाना हुए। तत्पश्चात् समय करीब 03.30 पीएम पर मन् पुलिस निरीक्षक को रेती स्टेण्ड से थोडा पहले आवरी माता जी मंदिर के पास रोड के किनारे परिवादी श्री महेश चौधरी एवं कानि. श्री राजेश कुमार एवं श्री चन्द्रकान्त एवं श्री विनोद वरिष्ठ सहायक खडे मिले। श्री राजेश कानि. ने मन् पुलिस निरीक्षक के प्राईवेट वाहन को हाथ का ईशारा देकर रूकवाया और परिवादी ने बताया कि मैरे पास अभी-अभी श्री नरेन्द्र टांक का वॉट्सएप वाईस कॉल आया और बताया कि श्री हीरालाल सरपंच साहब पंचायत समिति गिर्वा उदयपुर के बाहर आ रहे है। जिस पर समय करीब 03.34 पीएम पर मन् पुलिस निरीक्षक के निर्देशानुसार श्री राजेश कानि. ने डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर को मय मैमोरी कार्ड के चालू कर परिवादी को सुपुर्द कर वाहन स्कूटी से लेन-देन वार्ता हेतु कार्यालय पंचायत समिति गिर्वा उदयपुर की तरफ रवाना किया। श्री राजेश कानि. को पैदल एवं श्री चन्द्रकान्त हैड कानि. व श्री विनोद वरिष्ठ सहायक को सरकारी मोटरसाईकिल से परिवादी के पीछे-पीछे अपनी-अपनी उपस्थिति छुपाते हुए परिवादी के निर्धारित इशारे के इन्तजार करने एवं ईशारा मिलते ही मन् पुलिस निरीक्षक को सुचित करने हेतु हिदायत देकर रवाना कर मन् पुलिस निरीक्षक मय हमराहियान के परिवादी के पीछे-पीछे रवाना हुए। परिवादी श्री महेश चौधरी कार्यालय पंचायत समिति गिर्वा उदयपुर के गेट नम्बर 02 के बाहर अपनी स्कूटी खडी कर वहां खडी एक मारूती कार अल्टो सफेद रंग के अन्दर जाकर कॉड्राईवर सीट पर बैठ गया। तत्पश्चात मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा श्री मोहम्मद जाबीर उप निरीक्षक व श्री विशाल माथुर, श्री भगवतीलाल को उक्त अल्टो कार के आस-पास ही अपनी-अपनी उपस्थिति छुपाते हुए परिवादी के निर्धारित इशारा करने पर मन् पुलिस निरीक्षक को सुचित करने की हिदायत देकर रवाना किया गया । मन् पुलिस निरीक्षक एवं श्री दिनेश कानि. अपने प्राईवेट वाहन में परिवादी के निर्धारित ईशारे के इन्तजार में रहे। कुछ समय बाद एक व्यक्ति उक्त खडी अल्टो कार के पास आया और कार के कॉड्राईवर सीट के पीछे का दरवाजा खोल कर उक्त अल्टो कार की पीछे की सीट पर बैंठ गया। तत्पश्चात समय करीब 03.52 पीएम पर परिवादी द्वारा मन् पुलिस निरीक्षक को अपने मोबाईल से मिस कॉल कर आरोपी द्वारा रिश्वत राशि ग्रहण करने का निर्धारित ईशारा किया। जिस पर मन् पुलिस निरीक्षक एवं श्री दिनेश कानि. मय प्राईवेट वाहन के उक्त अल्टो कार के पास पंहुचे। मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा कार से उतर कर समस्त ट्रेप पार्टी के सदस्यों को पास बुलाया। जिस पर समस्त ट्रेप पार्टी के सदस्य तेज तेज कदमो से चलते हुए मन पुलिस निरीक्षक के पास पंहुचे। मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा परिवादी श्री महेश चौधरी से डिजीटल वाईस रिकॉर्डर लेकर उसे बंद कर अपने पास सुरक्षित रखा। तत्पश्चात परिवादी श्री महेश चौधरी ने कार की पीछे की सीट पर बैठे व्यक्ति की ओर ईशारा कर बताया कि यही श्री हीरालाल सरपंच है और आगे की ड्राईवर सीट पर बैठा व्यक्ति मेरा परिचित श्री नरेन्द्र टांक उर्फ बबलू है। जिस पर मन पुलिस निरीक्षक द्वारा कार की पीछे की फाटक खोल कर अन्दर बैठे व्यक्ति को कार से बाहर निकलने को कहा, जिसपर उक्त व्यक्ति कार से बाहर निकला जिसे मन् पुलिस निरीक्षक ने स्वयं और हमराहियान का परिचय देकर आने के मनत्वय से अवगत करा उसका परिचय पूछा तो उसने अपना नाम हीरालाल पिता श्री कालुजी मीणा, उम्र 30 वर्ष, निवासी उपली भागल उमरडा तहसील गिर्वा जिला उदयपुर हाल सरपंच ग्राम पंचायत उमरडा पंचायत समिति व तहसील गिर्वा जिला उदयपुर होना बताया। जिस पर आरोपी श्री हीरालाल सरपंच के बायें हाथ को ब्यूरो टीम के हैड कानि. श्री चन्द्रकान्त द्वारा एवं दाहिने हाथ को श्री मोहम्मद जाबीर उप निरीक्षक द्वारा कलाई से उपर बाजुओ से पकडा गया। श्री हीरालाल सरपंच को परिवादी श्री महेश चौधरी से ग्रहण की गई रिश्वत राशि के संबंध में पूछा तो चुप रहकर कोई जवाब नही दिया जिस पर परिवादी श्री महेश चौधरी ने बताया कि श्री हीरालाल सरपंच ने मुझसे अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने के ऐवज में अपनी मांग अनुसार 25,000/- रूपये मांग कर अपने दोनों हाथों से ग्रहण किये है। जिस पर मन पुलिस निरीक्षक ने आरोपी श्री हीरालाल को परिवादी श्री महेश चौधरी से 25000 रूपये रिश्वत राशि ग्रहण करने के संबंध में पूछा तो आरोपी ने श्री हीरालाल ने बताया कि मैंने कोई रिश्वत राशि नहीं ली हैं ना ही मुझे इसके बारे में कोई जानकारी हैं। जिस पर परिवादी ने कहा कि सरपचं हीरालाल साहब झूठ बोल रहे है, मैंने अपनी उमरडा में स्थित जमीन पर इंडस्ट्री लगाने हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने की ऐवज में हीरालाल सरपंच की मांग अनुसार 25000 रूपये रिश्वत राशि अभी अभी इनको दी है जो इन्ही के पास हैा जिस पर पुनः आरोपी श्री हीरालाल सरपंच को परिवादी से ग्रहण की गई रिश्वत राशि के बारे में पूछने पर कहने लगा कि मुझसे गलती हो गई मैं आयन्दा ऐसी गलती नही करूंगा मुझे छोड दो। तत्पश्चात मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा आरोपी श्री हीरालाल को तसल्ली देकर परिवादी से ली गई रिश्वत राशि के बारे में पूछा तो आरोपी श्री हीरालाल सरपंच ने बताया कि अभी-अभी मैने इनकी उमरडा में स्थित जमीन पर इंडस्ट्री लगाने हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी दिया है जिसकी ऐवज में मैंने श्री महेश चौधरी से 25000 रूपये लेकर कार की कॉड्राइवर सीट के सीट कवर की पीछे की जैब में रखें है। आपकी कार जब हमारी कार के पास आयी ओर जब आप कार से उतर कर हमारे पास

आने लगे तब मुझे शंका होने से मैंने 25000 रूपयो को कॉड्राइवर सीट के सीट कवर की पीछे की जैब में रख दिये थे। जिस पर स्वतंत्र गवाह श्री भगवतीलाल कनिष्ठ सहायक को आरोपी द्वारा बताये अनुसार कॉड्राइवर सीट के सीट कवर की पीछे की जैब की तलाश लेने के लिये कहा तो सीट कवर की जैब के अन्दर 500-500 रूपये के नोटों की एक गड्डी मिली। जिस पर गवाह श्री भगवतीलाल से ही उक्त नोटों की गड्डी को निकलवाकर गिनवाये तो 500-500 रूपये के 50 नोट कुल 25000/- रूपये होना पाया गया। उक्त नोटों को गवाह श्री भगवतीलाल के पास सुरक्षित रखवाये गये। अल्टो कार रजिस्टेशन नम्बर आरजे 12 सीए 3389 को लॉक कर चाबी गवाह श्री विशाल माथुर को सुरक्षित रखने हेतु सम्भलायी गई। सूरक्षा एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु मन पुलिस निरीक्षक मय हमराहियान मय श्री नरेन्द्र टांक उर्फ बबलू मय आरोपी श्री हीरालाल सरपंच को यथा स्थिति कार्यालय पंचायत समिति गिर्वा में लेकर गये मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा श्री गजराज मेनारिया विकास अधिकारी पंचायत समिति गिर्वा के कक्ष में जाकर अपना एवं हमराहियान का परिचय देकर अपने आने के मन्तव्य से अवगत करा अग्रिम कार्यवाही हेतु एक कक्ष उपलब्ध करवाने हेतु कहा गया जिस पर उन्होंने अपने कार्यालय कक्ष के पास बायी तरफ वाला कार्यालय कक्ष अग्रिम कार्यवाही हेतु उपलब्ध करवाया गया। आरोपी श्री हीरालाल सरपंच द्वारा परिवादी से रिश्वत राशि ग्रहण करने की वास्तविकता जानने एवं प्रमाणन हेतु धोवन की कार्यवाही करने हेतु मन पुलिस निरीक्षक के प्राईवेट वाहन में रखा ट्रेप बाक्स व अनुसंधान संबंधी संसाधनो को श्री दिनेश कानि व श्री विनोद कुमार वरिष्ठ सहायक से मंगवाया गया। मन पुलिस निरीक्षक ने परिवादी के परिचित श्री नरेन्द्र टांक उर्फ बबलू को अपना परिचय देकर उससे उसका परिचय पूछा तो अपना नाम नरेन्द्र टांक पुत्र श्री भगवती लाल उम्र 37 वर्ष निवासी चोकवाडा उमरडा तहसील गिर्वा पुलिस थाना हिरण मगरी जिला उदयपुर होना बताया। सरपंच साहब श्री हीरालाल जी व श्री महेश चौधरी से मेरा अच्छा परिचय है। मन पुलिस निरीक्षक ने गवाह श्री विशाल माथुर व श्री दिनेश कानि से पंचायत समिति गिर्वा कार्यालय के बाहर खडी अल्टो कार नम्बर आरजे 12 सीए 3389 को पंचायत समिति गिर्वा कार्यालय के पोर्च में लाकर सुरक्षित खडी करवा लॉक कर चाबी स्वतंत्र गवाह श्री विशाल माथुर के पास सुरक्षित रखवाई गई। तत्पश्चात श्री राजेश कुमार कानि. से ट्रेप बॉक्स में रखे साफ प्लास्टिक के दो पारदर्शी डिस्पोजल गिलास निकलवाकर उक्त कक्ष में रखी हुई साफ पानी की बोतल से उक्त गिलासों में पानी भरवाया जाकर टे्प बॉक्स में रखी सोडियम कॉर्बोनेट की शीशी निकलवाकर एक-एक चम्मच सोडियम कॉर्बोनेट पाउडर पानी के गिलासों में डलवा कर घोल तैयार करवाया गया तो घोल का रंग अपरिवर्तित रहा जिसे उपस्थितिनो ने स्वीकार किया। एक पारदर्शी डिस्पोसल गिलास के रंगहीन घोल में आरोपी श्री हीरालाल सरपंच के दांहिने हाथ की अंगुलियों व अंगुष्ठ को डूबोकर धुलवाई गई तो धोवन का रंग गुलाबी हुआ जिसे उपस्थित गवाहान ने स्वीकार किया। इस धोवन को दो साफ कांच की शीशियो में आधा-आधा भरवाया जाकर शीशीयों को सिलचिट कर मार्क RH-1 व RH-2 से चिन्हित कर चिट व कपड़े पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। इसी प्रकार आरोपी के बांये हाथ की अगुलियों व अंगुष्ठ को दूसरे पारदर्शी डिस्पोसल गिलास के रंगहीन घोल में डूबोकर धुलवाई गई तो धोवन का रंग गुलाबी हुआ। जिसे उपस्थित गवाहान ने स्वीकार किया इस धोवन को दो साफ कांच की शीशियो में आधा-आधा भरवाया जाकर शीशीयो को सिलचिट कर मार्क LH-1 व LH-2 से चिन्हित कर चिट व कपड़े पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। तत्पश्चात रिश्वत राशि बरामदगी स्थल अल्टो कार के कॉड्राईवर की सीट के पीछे सीट कवर की जैब जहा से रिश्वत राशि बरामद की गई का धोवन लिया जाना आवश्यक होने से पोर्च में खडी कार के पास पंहुचे। स्वतंत्र गवाह श्री विशाल माथुर से उक्त कार का लॉक खुलवाया जाकर श्री राजेश कुमार कानि. से ट्रेप बॉक्स में रखे साफ प्लास्टिक का एक पारदर्शी डिस्पोजल गिलास निकलवाकर उसमें पानी की बोतल से साफ पानी भरवाकर सोडियम कॉर्बोनेट की शीशी से एक चम्मच पाउडर डलवाकर घोल तैयार करवाया गया तो घोल का रंग अपरिवर्तित रहा जिसे उपस्थितिनो ने स्वीकार किया। उक्त पारदर्शी डिस्पोसल गिलास के रंगहीन घोल में स्वतंत्र गवाह श्री विशाल माथुर से एक कपडे की छोटी चिन्दी को भिगोया गया तब भी घोल का रंग अपरिवर्तित रहा भीगे हुए कपडे की चिन्दी को रिश्वत राशि बरामदगी स्थल अल्टो कार के कॉड्राईवर की सीट के पीछे सीट कवर की जैब के अन्दर की तरफ घुमाया जाकर रंगहीन घोल के गिलास में धुलवाया गया तो घोल का रंग गुलाबी हुआ। जिसे उपस्थित गवाहान ने स्वीकार किया। इस धोवन को दो साफ कांच की शीशियो में आधा-आधा भरवाया जाकर शीशीयों को सिलचिट कर मार्क C-1 व C-2 से चिन्हित कर चिट व कपड़े पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। बरामद शुदा रिश्वत राशि को हमराहियान के समक्ष स्वतंत्र गवाह श्री भगवतीलाल से गिनवाया गया तो 500-500 के 50 नोट कुल 25000/- रुपये होना बताया तथा जिनके नम्बरो को मिलान दोनो गवाहान से पूर्व में मुर्तिब की गई फर्द पेशकशी नोट से करवाया गया उपस्थित के समक्ष हुबहू 500-500 के 50 नोट जिनके नम्बर निम्नानुसार पाये गये 0VN039928, 1RM027178, 8EK412352, 0HW219666, 5CS419689, 8TG062371, 8KR580719, 8CD154220, 2AG833103, 0EW039735, 0SS110093, 3MM277306, 1HA424281, 6SU484627, 7SR125958, 3TV845393, 7PB454176, 4AR874023, 3ML765143, 3FH751483, 5LM582288, 0TA778914, 5CS423392, 6QF342938, 0RM813871, 6DC270144, 5QE801397, 2NU948418, 9HH155672, 0GP400234, 4SF827273, 8VF362397, 4WM306544, 7RE617568, 8CG058418, 2PH736989, 1BL528233, 0GV550086, 2UW233689, 6BR398003, 7AG869388, 1CG788317, 1QK462512,

5TC399224, 9BC808679, 0BF075185, 2KS335987, 8GQ926707, 6VV062527, 8AP764466 उक्त बरामदशुदा रिश्वत राशि 500-500 के 50 नोट कुल 25,000/- रुपये गुलाबी रंग के कागज में सिलचिट किया जाकर चिट पर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर वजह सबुत जप्त किया गया। सिलचिटशुदा आर्टिकल्स को श्री राजेश कुमार कानि. से ट्रेप बॉक्स में सुरक्षित रखवाये गये। आरोपी श्री हीरालाल सरपंच की जामा तलाशी स्वंतत्र गवाह श्री विशाल माथुर से लिवाई गई तो आरोपी की पहनी हुई जिन्स की पेन्ट की दाहिनी जेब से एक मोबाईल फोन वीवो कम्पनी का बरंग काला मिला एवं दूसरी जैब से एक जमाबंदी की नकल मिली जिसका अवलोकन किया तो ग्राम पंचायत उमरडा में खाता संख्या नया 1790, खाता संख्या पुराना 1303 श्री महेश पुत्र पन्नालाल के नाम पर खसरा नम्बर 16482/4874 मिला जिस पर परिवादी श्री महेश चौधरी के हस्ताक्षर किये हुए हो दिनांक 22.02.24 अंकित की गई मिली। उक्त जमाबंदी के बारे में आरोपी श्री हीरालाल से पूछा तो उसने बताया कि उक्त जमाबंदी की नकल श्री महेश चौधरी ने मुझे कार में बैठे थे तब दी है जिसे मैंने अपनी जैब में रखी थी। उक्त जमाबंदी की नकल पर स्वतंत्र गवाहान, आरोपी श्री हीरालाल सरपंच के हस्ताक्षर करा कब्जे ब्यूरो लिया गया। आरोपी से बरामद मोबाईल का स्वतंत्र गवाह श्री विशाल माथुर के पास सुरक्षित रखने हेतु हिदायत दी गई मोबाईल को अलग से जरिये फर्द जप्त किया जायेगा। आरोपी श्री हीरालाल मीणा से परिवादी श्री महेश चौधरी के कार्य के संबंध में पूछा तो आरोपी ने बताया कि श्री महेश चौधरी ने मुझसे उनके उमरडा ग्राम पंचायत में स्थित जमीन में ईन्डस्ट्री लगाने हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र चाहा गया था। जिस पर मेरे द्वारा कार्यालय ग्राम पंचायत उमरडा पंचायत समिति गिर्वा, जिला उदयपुर के लेटरपेड पर अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी कर सरपंच ग्राम पंचायत उमरडा की मोहर लगा कर मेरे हस्ताक्षर किये जाकर कार्यालय पंचायत समिति गिर्वा, जिला उदयपुर के बाहर अल्टो कार में बैठ कर श्री महेश जी को दिया हैं। इसी अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने की एवज में मैंने महेश जी से 25000 रूपये लिये है। जिस पर परिवादी श्री महेश चौधरी द्वारा आरोपी श्री हीरालाल सरपंच द्वारा जारी किये गये अनापत्ति प्रमाण पत्र को मन् पुलिस निरीक्षक के समक्ष पेश किया जिसका स्वतंत्र गवाहान के समक्ष अवलोकन किया गया तो कार्यालय ग्राम पंचायत उमरडा पंचायत समिति गिर्वा, जिला उदयपुर के लेटरपेड पर क्रमांक ग्रा.प.उमरडा 2024-25 दिनांक 22.2.2024 से MS. एसके. इंडस्ट्रीज प्रो. श्री महेश जी चौधरी खसरा संख्या 16482/4874 ग्राम उमरडा, पटवार हल्का उमरडा, भु.अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र भोईयों की पंचोली, त.गिर्वा जिला उदयपुर स्थित जमीन पर सोप स्टोन, डोलोमाईट, केब साईट आदि का पाउडर निर्माण कर व्यवसाय करने हेतु ग्राम पंचायत उमरडा त. गिर्वा जिला उदयपुर को किसी प्रकार की आपत्ति नहीं है। बाबत् अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया गया। उक्त अनापत्ति प्रमाण पत्र पर स्वतंत्र गवाहान, परिवादी के हस्ताक्षर कर कब्जे ब्यूरो लिया गया। सम्पूर्ण हालात उच्चाधिकारियो को निवेदन किये गये। उपर्युक्त कार्यवाही की फर्द मन पुलिस निरीक्षक के निर्देशानुसार श्री चन्द्र कान्त हैड कानि द्वारा मुर्तिब की जाकर नमूना सील अंकित कर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये। समय करीब 05.30 पीएम पर मन् पुलिस निरीक्षक मय दोनो स्वंतत्र गवाहान मय कानि श्री दिनेश मय परिवादी के कार्यालय पंचायत समिति गिर्वा के गेट नं 02 के बाहर पहॅूच परिवादी श्री महेश चौधरी की निशादेही से फर्द घटना स्थल मुर्तिब कर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाये गयेा समय 05.50 पी.एम. पर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा सुरक्षा की दृष्टी से एवं पंचायत समिति कार्यालय के बंद होने का समय होने से अग्रिम कार्यवाही सम्पादित करने हेतु श्री चन्दाकान्त हैड कानि., स्वतंत्र गवाह श्री भगवतीलाल एवं परिवादी के परिचित श्री नरेन्द्र टांक को अल्टो कार रजिस्ट्रेशन नम्बर आरजे 12 सीए 3389 से, श्री विनोद वरिष्ठ सहायक को सरकारी मोटरसाईकिल से एवं परिवादी श्री महेश चौधरी एवं श्री राजेश कानि. को परिवादी की निजी स्कूटी से ब्यूरो कार्यालय के लिये रवाना कर मन् पुलिस निरीक्षक, श्री मोहम्मद जाबीर उप निरीक्षक, स्वतंत्र गवाह श्री विशाल माथुर व श्री दिनेश कानि. मय आरोपी श्री हीरालाल मीणा सरपंच मय प्राईवेट वाहन मय ट्रेप बॉक्स, लेपटॉप प्रिन्टर व आवश्यक संसाधन के उनके पिछे-पिछे ब्यूरो कार्यालय की तरफ रवाना हुए। समय 06.10 पी.एम. ब्यूरो कार्यालय पंहुचा जहां पूर्व में रवानाशुदा ब्यूरो जाप्ता, श्री नरेन्द्र टांक एवं परिवादी उपस्थित मिले। कार अल्टो को सुरक्षा की दृष्टि से ब्यूरो कार्यालय के पोर्च में स्वतंत्र गवाह श्री भगवती लाल से रखवाई जाकर लॉक लगा कर चाबी श्री भगवती लाल को सम्भलाई गई। आरोपी श्री हीरालाल को श्री मोहम्मद जाबीर उप निरीक्षक की निगरानी में कार्यालय कक्ष में बिठाया गया। समय 06.30 पी.एम. पर मन् पुलिस निरीक्षक के निर्देशानुसार श्री दिनेश कुमार कानि द्वारा दिनांक 22.02.2024 को समय करीब 09.52 एएम से 11.00 एएम के मध्य परिवादी श्री महेश चौधरी एवं आरोपी श्री हीरालाल मीणा सरपंच के मध्य रूबरू हुई रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता जिसे ब्यूरो के डिजिटल वाईस रिकार्डर में रिकार्ड किया गया था, उक्त वार्ता की ट्रांसक्रिप्ट फर्द में अंकित की जाकर डिजिटल वाईस रिकार्डर को लेपटोप से कनेक्ट कर आरोपी श्री हीरालाल मीणा सरपंच, परिवादी श्री महेश चौधरी व श्री नरेन्द्र टांक उर्फ बबलू को दोनो स्वंतत्र गवाहानों के समक्ष चलाकर सुनाई गई तो उक्त तीनो ने अपनी-अपनी आवाज की पहचान कर उक्त वार्ता में स्वंय की आवाज होने की ताईद की। उक्त वार्ता की एक मूल, एक आरोपी एवं एक आईओ सीडी तैयार करवाई जाकर मूल सीडी पर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाये गये । उक्त रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता की वाईस रिकाडिंग फाईल की हैश वेल्यू लेपटाप की सहायता मूल सीडी व वाईस रिकार्डर को पृथक-पृथक कनेक्ट कर । AccessData FTK Imager सोफ्टवेयर का उपयोग कर पृथक-पृथक निकाली जाकर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाये जाकर शामील पत्रावली की गई। मूल सीडी को प्लास्टिक के सीडी कॅवर मे सुरक्षित

रखकर सफेद कपडे की थैली में रखकर श्री राजेश कानि. से सीलचिट करवायी जाकर मार्क A दिया गया। सीलचिटशुदा कपडे की थैली पर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाये गये तथा आरोपी सीडी एवं आईओ सीडी को प्लास्टिक के सीडी कवर में सुरक्षित रख कर अनसील्ड रखा गया। उक्त वार्ताओ फर्द ट्रांसक्रिप्ट रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता मुर्तिब की जाकर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाये गये। समय 09-00 पीएम पर मन् पुलिस निरीक्षक के निर्देशानुसार श्री दिनेश कुमार कानि द्वारा दिनांक 22.02.2024 को समय करीब 03.34 पीएम से 03.54 पीएम के मध्य परिवादी श्री महेश चौधरी एवं आरोपी श्री हीरालाल मीणा सरपंच के मध्य रूबरू हुई रिश्वत राशि लेन देन वार्ता जिसे ब्यूरो के डिजिटल वाईस रिकार्डर में रिकार्ड किया गया था, उक्त वार्ता की ट्रांसक्रिप्ट फर्द में अंकित की जाकर डिजिटल वाईस रिकार्डर को लेपटोप से कनेक्ट कर आरोपी श्री हीरालाल मीणा सरपंच, परिवादी श्री महेश चौधरी व श्री नरेन्द्र टांक उर्फ बबलू को दोनो स्वंतत्र गवाहानों के समक्ष चलाकर सुनाई गई तो उक्त तीनो ने अपनी-अपनी आवाज की पहचान कर उक्त वार्ता में स्वंय की आवाज होने की ताईद की। उक्त वार्ता की एक मूल, एक आरोपी एवं एक आईओ सीडी तैयार करवाई जाकर मूल सीडी पर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाये गये। उक्त रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता की वाईस रिकाडिंग फाईल की हैश वेल्यू लेपटाप की सहायता मूल सीडी व वाईस रिकार्डर को पृथक-पृथक कनेक्ट कर । AccessData FTK Imager सोफ्टवेयर का उपयोग कर पृथक-पृथक निकाली जाकर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाये जाकर शामील पत्रावली की गई। मूल सीडी को प्लास्टिक के सीडी कॅवर मे सुरक्षित रखकर सफेद कपडे की थैली में रखकर श्री राजेश कानि. से सीलचिट करवायी जाकर मार्क B दिया गया। सीलचिटशुदा कपडे की थैली पर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाये गये तथा आरोपी सीडी एवं आईओ सीडी को प्लास्टिक के सीडी कवर में सुरक्षित रख कर अनसील्ड रखा गया। उक्त वार्ताओ फर्द ट्रांसक्रिप्ट रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता मुर्तिब की जाकर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाये गये। समय 10.30 पी.एम. पर मन् पुलिस निरीक्षक के निर्दे'शानुसार श्री राजेश कानि से परिवादी श्री महेश चौधरी व आरोपी श्री हीरालाल मीणा सरपंच के मध्य आज दिनांक 22.02.2024 को रूबरू हुई रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता एवं आज दिनांक 22.02.2024 को वक्त रिश्वत राशि लेन देन रूबरू हुई वार्ता की रिकार्डिंग हेतु ब्यूरो के डिजिटल वाईस रिकार्डर में प्रयुक्त मेमोरी कार्ड SanDisk Ultra 16 GB बरंग लाल एवं ग्रे को डिजिटल वाईस रिकार्डर से निकलवा कर मेमोरी कार्ड को प्लास्टिक की डिब्बी में सुरक्षित रखकर सफेद कपडे की थेली में सीलबंद कर मार्क M अंकित कर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये। फर्द जप्ती मेमोरी कार्ड मन पुलिस निरीक्षक के निर्दे' शानुसार श्री चन्द्र कान्त हैडकानि द्वारा मूर्तिब कर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाये गये। समय 10.50 पी.एम. पर मन् पुलिस निरीक्षक के निर्देशानुसार दौराने ट्रेप कार्यवाही परिवादी श्री महेश चौधरी एवं आरोपी श्री हीरालाल मीणा सरपंच के मध्य जरिये वाट्सएप पर हुई चैट वार्ता एवं परिवादी के परिचित श्री नरेन्द्र टांक उर्फ बबलू और आरोपी के मध्य हुई मोबाईल वार्ता एवं वाट्सएप वार्ता व चैट वार्ता होने से आरोपी श्री हीरालाल मीणा सरपंच के मोबाईल फोन vivo Y35 बरंग काला चौकडीदार जिसके आईएमईआई नम्बर क्रमशः 866642061255719 एवं दुसरा आईएमईआई नम्बर 866642061255701 है, मोबाईल ड्यूल सिम होकर मोबाईल में एक सिम एयरटेल कम्पनी की जिसके नम्बर 9571341273 दुसरी सिम जीओ कम्पनी की जिसके नम्बर 9351022962 लगी हुई है। जिसके स्कीन लॉक पासवर्ड पिन 9043 है। परिवादी के परिचित श्री नरेन्द्र टांक उर्फ बबलू व आरोपी के मध्य हुई सामान्य कॉल के फोटो कानि दिनेश कुमार के मोबाईल से लिवाये जाकर उनकी प्रिन्ट निकाल कर संबंधितो के हस्ताक्षर करा शामील कार्यवाही किये गये। आरोपी के उक्त मोबाईल फोन को सफेद कपडे की थैली में रखकर सीलचिट कर मार्क M-1 अंकित किया जाकर चिट पर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये। फर्द जप्ती मोबाईल फोन पृथक से मूर्तिब कर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाये गये। समय 11.15 पी. एम. पर मारूती अल्टो कार सफेद रंग रजिस्ट्रेशन नम्बर आरजे 12 सीए 3389 को वजह सबूत जब्त की फर्द जप्ती अल्टो कार से मूर्तिब कर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाये गये। समय 11-30 पीएम पर आरोपी हीरालाल पिता श्री कालुजी मीणा, उम्र 30 वर्ष, निवासी उपली भागल, उमरडा, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर हाल सरपंच, ग्राम पंचायत उमरडा, पंचायत समिति व तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर के विरूद्ध जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में प्रथम दृष्टया अपराध प्रमाणित पाया जाने से नियमानुसार 41(क) सीआरपीसी के प्रावधानों की पालना कर जरिये फर्द गिरफ्तार किया गया। समय 11.50 पी.एम. पर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा आरोपी श्री हीरालाल मीणा सरपंच को उसकी आवाज का नमूना एवं स्पष्टीकरण चाहने हेतु तहरीर दी गई तो मूल ही तहरीर पर आरोपी द्वारा अपनी आवाज का नमूना नहीं देने तथा स्पष्टीकरण बाद में प्रस्तुत करने हेतु अंकित किया गया। दिनांक 23.02.2024 समय 01.00 ए.एम. पर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा दोनो स्वतंत्र गवाहान, श्री नरेन्द्र टांक उर्फ बबलू व परिवादी को रूकसत किया गया। दौराने कार्यवाही जप्तशुदा सीलचिट आर्टिकल्स को श्री दिनेश कुमार कानि. 266 को सम्भलाकर ब्यूरो कार्यालय के मालखाना कक्ष में सुरक्षित रखवाया गया। समय 01.50 ए.एम. पर मन् पुलिस निरीक्षक मय कानि. श्री दिनेश कुमार मय आरोपी श्री हीरालाल मीणा सरपंच मय प्राईवेट वाहन से आरोपी को सुरक्षा की दृष्टि से दाखिल हवालात करने हेतु पुलिस थाना हाथीपोल, उदयपुर रवाना हुए, पुलिस थाना हाथीपोल, उदयपुर पंहुच आरोपी श्री हीरालाल मीणा सरपंच को पुलिस थाना हाथीपोल की हवालात में पहरा संतरी की निगरानी में रखने हेतु थाना डीओ को तेहरीर देकर दाखिल हवालात करवाया गया, पुलिस थाना हाथीपोल से रवाना होकर ब्यूरो कार्यालय उदयपुर पहुचे। तत्पश्चात समय 12.45 पी.एम. पर

आरोपी श्री हीरालाल मीणा सरपंच को पुलिस थाना हाथीपोल, उदयपुर से पुनः प्राप्त कर आरोपी का स्वास्थ्य परीक्षण करवाये जाने हेतु ब्यूरो कार्यालय से श्री भारत सिंह कानि.441 एवं श्री राजेश कानि. 263 को मय सरकारी वाहन मय ड्राईवर के रवाना पुलिस थाना हाथीपोल किया गया। समय 01.50 पी.एम. श्री भारत सिंह कानि.441 एवं श्री राजेश कानि. 263 मय सरकारी वाहन एवं ड्राईवर के साथ आरोपी श्री हीरालाल मीणा सरपंच को लेकर उपस्थित कार्यालय आया। पुलिस थाना हाथीपोल से रोजनामचा आम की रपट की प्रमाणित प्रति एवं आरोपी श्री हीरालाल मीणा सरपंच के राजकीय महाराण भूपाल चिकित्सालय, उदयपुर में करवाये गये स्वास्थ्य परिक्षण की रिपोर्ट मन् पुलिस निरीक्षक को प्रस्तुत की जिनको बाद अवलोकन शामील कार्यवाही की गई। समय 04.30 पी.एम. पर आरोपी श्री हीरालाल मीणा सरपंच को माननीय सेशन एवं विशिष्ट न्यायालय भ्रष्टाचार निवारण मामलात उदयपुर क्रमांक 01 में प्रस्तुत किये जाने हेतु मन पुलिस निरीक्षक मय रिमाण्ड एवं पत्रावली, कानि0 श्री भारतसिंह, श्री राजेश कुमार के साथ मय आरोपी के सरकारी वाहन के रवाना हुआ। मन पुलिस निरीक्षक मय हमराहियान के माननीय सेशन एवं विशिष्ट न्यायालय भ्रष्टाचार निवारण मामलात क्रम सं. 01 उदयपुर पहुचा जहां माननीय न्यायाधीष महोदय अवकाश में होने से आरोपी श्री हीरालाल मीणा सरपंच को माननीय सेशन एवं विशिष्ट न्यायालय भ्रष्टाचार निवारण मामलात क्रम सं. 02 उदयपुर में मय रिमाण्ड के प्रस्तुत किया। माननीय न्यायाधीश महोदय द्वारा आरोपी श्री हीरालाल मीणा सरपंच की जमानत स्वीकार कर आरोपी को जमानत मुचलके लेकर जमानत पर आजाद किया गया। पत्रावली प्राप्त कर पुनः ब्यूरो कार्यालय पर उपस्थित आये। इस प्रकार सम्पूर्ण ट्रेप कार्यवाही से पाया गया कि परिवादी श्री महेश चौधरी द्वारा अपनी ग्राम पंचायत उमरडा, उदयपुर में स्थित जमीन पर इंडसट्रीज लगाने के लिये ग्राम पंचायत उमरडा के सरपंच श्री हीरालाल मीणा से अनापत्ति प्रमाण पत्र चाहने पर आरोपी श्री हीरालाल मीणा, सरपंच, ग्राम पंचायत उमरडा, पंचायत समिति व तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर द्वारा अपने पद एवं अधिकारो का दुरपयोग कर वैध पारिश्रमिक के अलावा अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने के ऐवज में परिवादी श्री महेश चौधरी से एक लाख रूपये रिश्वत राशि की मांग की गईा जिस पर परिवादी द्वारा ब्यूरो कार्यालय पर इस संबंध में रिपोर्ट प्रस्तुत की जाने पर दिनांक 22.02.2024 को मांग सत्यापन की कार्यवाही करने पर आरोपी द्वारा परिवादी से एक लाख रूपये की मांग करना तथा परिवादी द्वारा रिश्वत राशि कम करने हेतु हाथा जौडी करने पर 25,000/- रूपये रिश्वती राशि हेतु सहमती देने की प़ष्टि होना पाया गया जिस पर अग्रिम कार्यवाही के दौरान आरोपी श्री हीरालाल मीणा सरपंच द्वारा कार्यालय पंचायत समिति गिर्वा उदयपुर के गेट नम्बर 02 के बाहर खडी मारूती कार अल्टो सफेद रंग रजिस्ट्रेशन नम्बर आरजे 12 सीए 3389 में बेठ कर अपनी मांग अनुसार परिवादी श्री महेश चौधरी से रिश्वत राशि 25,000/- रूपये ग्रहण कर रिश्वत राशि कॉड्राइवर सीट के सीट कवर की पीछे की जैब में रखें जहाँ से रिश्वत राशि 25,000/- रूपये को बरामद कर आरोपी को रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया आरोपी का उक्त क़त्य जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 यथा संशोधित 2018 में प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाया गया है। अतः आरोपी श्री हीरालाल पिता श्री कालुजी मीणा, उम्र 30 वर्ष, निवासी उपली भागल, उमरडा, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर, हाल सरपंच, ग्राम पंचायत उमरडा, पंचायत समिति व तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर के विरूद्ध प्रकरण पंजीबद्ध कर विस्तृत अनुसंधान किया जाना उचित होगा। अतः बिना नंबरी प्रथम सूचना रिपोर्ट वास्ते क्रमांकन श्रीमान् की सेवामें सादर प्रेषित है। भवदीय (रतनसिंह राजपुरोहित) पुलिस निरीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो एसयू, उदयपुर...कार्यवाही पुलिस..... प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री उमेश ओझा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, उदपुर एस.यू. के माध्यम से श्री रतनसिंह राजपुरोहित, पुलिस निरीक्षक ने जरिये ईमेल प्रेषित की है। रिपोर्ट के तथ्यों से जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में आरोपी श्री हीरालाल मीणा पुत्र श्री कालुजी मीणा, निवासी उपली भागल, उमरडा, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर हाल सरपंच, ग्राम पंचायत उमरडा, पंचायत समिति व तहसील गिर्वा जिला उदयपुर के विरूद्ध घटित होना पाया जाता है। अतः प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 37/2024 उपरोक्त धारा में पंजीबद्ध कर अनुसंधान अधिकारी श्री राजीव जोशी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, बासंवाड़ को सुपुर्द कर प्रतियाँ नियमानुसार जारी की गई। उक्त के सम्बन्ध में रोजनामचा आम रपट संख्या 359 पर अंकित है।(रणधीर सिंह)उप महानिरीक्षक पुलिस-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।क्रमांकः- 178-82 दिनांक 24.02.2024 प्रतिलिपिः- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।1.विशिष्ट न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, उदयपुर।2.उप महानिरीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, उदयपुर।3.

आयुक्त, ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग, राजस्थान, जयपुर।4.सम्भागीय आयुक्त, उदयपुर।5.अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, एस.यू., उदयपुर। उप महानिरीक्षक पुलिस-प्रशासन,भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.
(की गई कार्यवाही: चूँकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता हैं कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख धारा के तहत हैं):

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):**

or (या)

(2) **Directed (Name of I.O.): (जाँच अधिकारी का नाम):** RAJEEV JOSHI **Rank (पद):** अपर पुलिस अधीक्षक

No(सं.): **to take up the Investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or(या)**

(3) **Refused investigation due to (जाँच के लिए) :**

or (के कारण इंकार किया, या)

(4) **Transferred to P.S.(थाना):** **District (जिला):**

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति निःशुल्क शिकायतकर्ता को दी गई|)
R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)

14. **Signature/Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):**

Signature of Officer in charge, Police Station (थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Signed by: Randhir Singh
Location: Rajasthan,IN
Date: 24/02/2024 15:31:03

15. **Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):**

Name(नाम): Randheer Singh

Rank (पद): Dy. IG (Deputy Inspector General)

No(सं.):

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:(If known/seen)
(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण :(यदि ज्ञात / देखा गया))

S.No.(क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height(cms.) (कद(से.मी))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male	26/04/1992				

Deformities/ Peculiarities (विकृतियाँ/ विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eyes (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit(s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language /Dialect (भाषा /बोली)	Place Of(का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (धवल रोग)	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है |)